IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882
INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

बाल श्रम और शोषण : बिहार

डॉ० प्रियंका चौधरी
आई० आर० पी० एम०, विभाग
तिलकामांझी भागलपुर विश्वविधालय, भागलपुर

सारः

बाल श्रम सदियों से बहुत ही भयानक समस्या के रूप में समाज को चुनौती दे रहा हैं। यह न सिर्फ विकासशील देशों में बल्कि विकसित देशों में भी कई दशकों से अस्तित्व में हैं। दुनिया भर के कई देशों ने इस समस्या को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से कई कानून बनाएँ, फिर भी बाल श्रम पूरे विश्व के कानून की आँखों में धूल झोंक कर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा हैं। बाल श्रम के आँकड़ों के अनुसार 176 देश में भारत का स्थान 113वां है। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 43.53 लाख बच्चे बाल मजदूर के रूप में कार्यरत हैं। हालांकि 2001 की जनगणना के अनुसार देश में कुल 1.26 करोड़ बच्चे बाल श्रम के कार्य में संलग्न थे, जो 2011 की जनगणना में 65% की कमी को दर्शाता है। इसके बावजूद हमारे देश की स्थिति इतनी दयनीय है कि पूरे विश्व के 10 बाल श्रमिकों में से एक बाल श्रमिक भारतीय से होता है। इसका मुख्य कारण गरीबी और अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, अशिक्षा तथा बेरोजगारी जैसी कई समस्याएँ हैं। बाल श्रम सिर्फ शहरी इलाकों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी व्यापक रूप से नजर आता है। वहीं बिहार राज्य में बाल श्रमिक नियोजन धडल्ले से अपना काम कर रही है। बिहार बाल श्रम के लिहाज से भारत का तीसरा सबसे बडा जिला हैं। राज्य के ग्रामीण इलाकों के बच्चे या तो नजदीकी दुकान घर, कारखाना या फिर होटल जैसे स्थानों पर काम करते हैं या नही ंतो जीवन स्तर सुधारने के संघर्ष में पलायन होकर शहरी इलाकों में परिवार से दूर होकर काम करते हैं। इस शोध पत्र के माध्यम से बिहार राज्य में बाल श्रमिकों की वास्तविक स्थिति तथा बाल श्रम को प्रभावित करने वाले कारकों प्रभाव तथा उससे उत्पन्न दुष्परिणामों का विश्लेषण किया गया है। इसके अलावा भी द्वितीयक स्रोतों से बिहार राज्य के 5–14 वर्ष तक के बाल श्रमिकों के 5 दशकीय वर्षों 1971–2011 तक के आँकड़ों को दर्शाने का प्रयास किया गया है।

कुंजीभूत शब्दः बाल श्रम, नियोजन, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, प्रवास।

➢ परिचयः

बच्चे स्पष्टतया, किसी भी देश की सबसे अमुल्य संपत्ति होते है। किसी भी राष्ट्र में बच्चों का पालन–पोषण किस अवस्था में हो रहा है, यह देश की आर्थिक व सामाजिक उन्नति का महत्वपूर्ण सूचक होता है, लेकिन यह आवश्यक भी नहीं है कि हर बच्चे को उनका संपूर्ण अधिकार मिल सकें। देश भर में ऐसे ना जाने कितने शोषित बाल श्रमिक हैं, जो गरीबी से जूझकर अपनी परिस्थितियों से समझौता कर अल्प आय की कमी को दूर करने के प्रयास में कठिन से कठिन कार्य करने के लिए भी तैयार रहते हैं, जबकि बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार, "बालक का तात्पर्य ऐसे बच्चों से है जिन्होंने अपनी आयु का 14 वर्ष पूरा नहीं किया है।" उन्हें खतरनाक व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं जैसे–बीड़ी उद्योग, कालीन की बुआई, सीमेंट उद्योग, विस्फोटक संबंधी कार्य, भवन निर्माण, शीशे से संबंधित कार्य, इलेक्ट्रॉनिक तथा विषैले पदार्थ वाले कार्य, आरा–मिल पर कार्य, तंबाकू व नशीली पदार्थ बनाने इत्यादि कार्यो में नियोजन पर रोक लगाया गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भी बाल मजदूर को कुछ इस प्रकार परिभाषित किया है "वह कार्य जो बच्चों को उनके मौलिक अधिकारों से दूर रखता है तथा उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास में बाधा पहुँचाता है"। उनके अनुसार, अधिकांश बाल मजदूर खतरनाक कार्यों में संलग्न है, जिससे उन्हें गंभीर बीमारियाँ भी हो रही है। इन बच्चों से कार्य कराने वाला सबसे मुख्य कारक गरीबी है। यहाँ तक की इसी संगठन (आई० एल० ओ० 2013) का अनुमान हैं कि विश्व भर में 5 से 14 वर्ष के अनुमानित 215 मिलियन बच्चे बाल श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं तथा उनके साथ कई तरह की बदसलूकी भी की जाती रही है। शोषित बच्चे इन परिस्थितियों में निरंतर कार्य करते रहने को विवश होते हैं। ऐसी स्थिति में ना तो उनके भाग्य में स्कूल लिखी रहती है और ना ही स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की कोई सुविधाएँ होती है न ही कोई अधिकार होता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने विश्व भर में इस शोषित बच्चों की समस्या को खत्म करने का प्रयास किया है। विभिन्न देशों ने भी बाल श्रम नियोजन पर कठोर कानून बनाएँ। इसके बावजूद बाल श्रम जैसी गंभीर बीमारियाँ पूरे विश्व में व्यापक रूप में कार्य कर रही है। वहीं भारत जैसे कई विकसित देशों ने भी बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन इसे पूरी तरह से खत्म करना इतना आसान नहीं है।

➢ बालकों के नियोजन की दशाओं का विनियमनः

बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बच्चों के नियोजन की शर्तों तथा उनकी दशाओं से संबंधित अधिनियम की सारी धाराएँ उन जगहों पर लागू होती हैं जहां बच्चों के नियोजन को प्रतिषेध नहीं किया गया है। अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित उपबंध है, जो कार्य की दशाओं को भी नियमित करने से संबंधित है।

1. कार्य के घंटे तथा कालावधिः

किसी भी संगठन में बाल श्रम के लिए उनके कार्य के घंटे ऐसे बनाएँ जाएँगे की हर बालक को 1 घंटे के विश्राम अंतराल के बिना लगातार 3 घंटे तक ही काम करना पड़े, जबकि उनकी विस्तृति (विश्राम अंतराल तथा कार्य प्रतीक्षा मिलाकर) 6 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी बाल श्रम से संध्या 7:00 से

सुबह 8:00 तक किसी भी प्रकार का कार्य नहीं लिया जा सकता है तथा किसी भी बाल मजदूर को उस दिन कार्य पर नहीं लगाया जाएगा जब वह बच्चा किसी दूसरे संस्थान में कार्यरत हो।

2. साप्ताहिक अवकाश

किसी भी उद्योग में कार्यरत बच्चों को हर सप्ताह पूरे 1 दिन के लिए अवकाश देना अनिवार्यता है।

3. स्वास्थ्य एवं सुरक्षा

केंद्र एवं राज्य सरकारें किसी भी उद्योग में बालक के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित नियम बना सकती हैं। यह नियम निम्नलिखित विषयों पर बनाएँ जा सकते हैं– साफ–सफाई, कचरे का बर्हिस्राव, प्रकाश, पेयजल, संवातन एवं तापमान, शौचालय, थूकदान, गतिमान तथा खतरनाक मशीनरी पर काम, मशीनरी को धेरना, स्वक्रिय मशीनें, अत्यधिक भार ,आँखों की सुरक्षा, भवनों का निर्माण, विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थों का कार्य इत्यादि।

- बाल श्रम के प्रकार:

बाल श्रम एक ऐसा विषय है, जिसे स्पष्ट करने की अनिवार्यता है। इसका उपयोग सरल तरीके से नहीं किया जा सकता है, किंतु इसमें कई गंभीर परिस्थितियों को सम्मिलित किया गया है, जहाँ बच्चे कार्य करते हैं। बाल श्रम कुछ इस प्रकार कार्यों में सम्मिलित है–

1. कृषि बाल श्रम:

कृषि भारत ही नहीं बल्कि अन्य विकासशील एवं पिछड़े देशों के अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है, क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण है तथा कृषि एवं सहवर्ती क्रियाएँ उनकी आजीविका का प्रमुख साधन है। यद्यपि कृषि में यंत्रीकरण ने मानवीय निर्भरता को कुछ हद तक कम किया है, तथापि भारत जैसे विकासशील देशों में अब तक इसकी पहुँच काफी सीमित है। इसलिए फसलों की बुआई से लेकर उन्हें तैयार करने तक विभिन्न स्तरों पर बड़ी संख्या में मानव श्रम की आवश्यकता होती है। प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में आजीविका की तलाश में मजदूरों का स्थानांतरण कृषि में मानव श्रम की कमी का कारण बन रही है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश संख्या में बच्चे खेतों में काम करते हुए तथा कई कृषि से संबंधित गतिविधियों में संलग्न देखे जाते हैं। ऐसे बाल श्रम कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, जो ऐसे वातावरण में भी काम करते हैं जहाँ खतरनाक मशीन, हानिकारक कीटनाशक तथा उच्च तापमान का भी सामना करते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है।

2. घरेलू बाल श्रम:

घरेलू नौकर के रूप में मजदूरी हेतु नियोजित बच्चों के अलावा अधिक संख्या में लड़कियाँ घर–घर जाकर काम करती है। यह बच्चियाँ छोटे–छोटे बच्चों की देखभाल, खाना बनाना, साफ–सफाई तथा कई घरेलू गतिविधियों

में लगी रहती हैं। ऐसी बच्चियों से ज्यादा से ज्यादा काम कराकर उसे न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। ऐसे घरों में बाल श्रमों को शारीरिक व भावनात्मक शोषण लगातार होता रहता है।

3. बंधुआ बाल श्रमः

बंधुआ मजदूरी, मजदूरी का एक ऐसा रूप है, जिसमें लोग काम तो अवश्य करते हैं परंतु आजीविका कमाने के लिए नहीं बल्कि अपने पूर्वजों के कर्ज चुकाने के लिए। धन के अभाव में लोग कृषि के लिए महाजन से रुपए उधार लेते थे इसके बदले उन्हें फसल अच्छी न होने पर उन्हें अपने ही घर से मुआवजा भरना होता था। ऐसे बच्चे जिनके माता–पिता गरीबी के कारण महाजन से कर्ज लेकर उसे चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं, तब ऐसे कर्ज को चुकाने के लिए उसे महाजन के पास बच्चों को गिरवी रख दिया जाता हैं। इन बच्चों से बेहिसाब दिन रात काम लिया जाता हैं, परंतु उन्हें कभी भी इस कर्ज के भार से मुक्ति नहीं मिलती हैं।

4. प्रवासी बाल श्रमः

सदियों से अपनी जीविका चलाने के लिए लाखों परिवार रोजगार की तलाश में अपना घर छोड़कर कई–कई महीनों या सालों के लिए प्रवासन की जिंदगी जी रहें हैं। प्रदेश में गुजारा करने के लिए पूरे परिवार को कठिन परिश्रम करना पड़ जाता हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल होते हैं। खेलने–कूदने और शिक्षा प्राप्त करने की उम्र में अचानक उन पर जिम्मेदारियों का बोझ आ जाता हैं। प्रवास के दौरान कई बच्चों का बचपन के साथ स्कूल भी छूट जाता है, जिनके कारण कई पीढ़ी लग जाते हैं, लेकिन इस दुष्चक्र को वे तोड़ नहीं पाते। कार्यस्थलों पर ऐसे बच्चों को अपरिहार्य रूप से काम पर लगाया जाता हैं।

5. सड़क पर रहने वाले बच्चेः

सड़क या फुटपाथ पर रहने वाले बच्चे या तो अनाथ होते हैं या भटक कर अन्य जगहों से दूसरे जगह पहुँच जाते हैं। ऐसे बच्चे बस स्टेशन, रेलवे स्टेशनों या फुटपाथों पर रहकर अपना जीवन बिताते हैं। ये बच्चे अपनी भूख मिटाने के लिए कई तरह का काम करते हैं, जैसे साफ–सफाई, जूता पॉलिस, रेल के डिब्बो की सफाई, कूड़ा बिनना, अखबार बेचना, भीख मांगना इत्यादि। अधिकांश बच्चों के पास रात को वापस जाने का कोई घर नहीं होता है। यह बच्चे दूसरों के रहमों कर्मों पर निर्भर रहते हैं।

6. यौन शोषण से शोषित बच्चेः

भारत, बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार के प्रति देश की प्रतिक्रिया पर "आउट ऑफ द शैडो इंडेक्स" में 58.5% के स्कोर के साथ 60 देश की सूची में 15वें स्थान पर है। 2020 के अपराध आँकड़े बताते हैं कि 2,222 बच्चों की तस्करी बाल मजदूरी के उद्देश्य से हुई थी। हालाँकि यह संभव है कि इस तरह के व्यापार में बहुत ही कम रिपोर्ट की जाती है। बाल यौन व्यवसायिक शोषण बाल श्रम के अंतर्गत ही आता है। कारखाने, निजी घर, फार्म हाउस, कार्यशालाएँ, घर जहाँ बच्चे कार्य करते हैं, यौन व्यवसायिक शोषण के स्थान होते हैं। कई बच्चों को मध्यस्थों

या नियोक्ताओं द्वारा बाहर भेज कर उसे इस तरह का कार्य करवाया जाता है। इसमें अधिकांश संख्या लड़कियों की होती है क्योंकि वह शारीरिक रूप से कमजोर तथा किसी भी व्यक्ति के झाँसे में आसानी से आ जाती हैं। व्यवसायिक एवं शोषण से उत्पन्न शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक क्षति बाल श्रम के सबसे गंभीर रूपों में एक बनाती हैं।

शोधकर्ता द्वारा एकत्रित विभिन्न स्थानों पर कार्य करते हुए बाल श्रमिकों की कुछ तस्वीरें:

चित्र संख्या–1. इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में कार्यरत बाल श्रमिक

चित्र संख्या–2. भोजनालय में कार्यरत बाल श्रमिक

चित्र संख्या 4. जेनरल स्टोर में कार्यरत बाल श्रमिक

चित्र संख्या–4. मोटर गेरेज में कार्यरत बाल श्रमिक

चित्र संख्या–5. हार्डवेयर की दुकान में कार्यरत श्रमिक

➢ बाल श्रम के कारण:

1. बाल श्रम का प्रमुख कारण गरीबी ही है। गरीबों की वजह से ही माता–पिता अपने ही बच्चों से काम करवाते हैं। साफ शब्दों में कहा जाएँ तो उसे बाल मजदूरी करवाते हैं।

2. गरीबी की वजह से शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से भी दूर हो जाते हैं, जिससे उन बच्चों या अभिभावकों को महत्वपूर्ण जानकारी या विभिन्न योजनाओं से वंचित रह जाते हैं, जिससे इन बच्चों का आसानी से शोषण होता रहता है। यही कारण है कि भारत में लगभग 7 मिलियन बच्चे स्कूल तक नहीं पहुँच पाते हैं।

3. कुछ अभिभावक अपने नशे की लत में पड़कर बच्चों के साथ मारपीट कर परिवार की आमदनी में वृद्धि के लालच में उसे जबरदस्ती काम करवाते हैं।

4. जनसंख्या वृद्धि भी बाल मजदूरी के कारण में से मुख्य कारण है। जनसंख्या वृद्धि से गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा में वृद्धि होती है, जिससे बाल मजदूरी नियंत्रण में प्रतिकूल असर पड़ता है।

5. ऐसे तो बाल श्रम रोकथाम पर न जाने कितने कानून बनाएँ गए हैं लेकिन इन कानून का सही ढंग से पालन नहीं होने के कारण बाल मजदूरी में लगातार वृद्धि हो रही है। कानून के रखवाले ही इन बच्चों को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। ऐसी स्थिति में महाजन या नियोक्ता का मनोबल और भी बढ़ जाता है तथा वह इन बच्चों से बिना किसी का परवाह किए काम करवाते हैं।

6. बच्चों की शारीरिक क्षमता उतनी नहीं होती है कि वह अपने मालिकों से अपने हक की लड़ाई लड़ सकें। यहीं कारण है कि कुछ दुकानदार या फैक्ट्री नियोक्ता उन बच्चों से दिन–रात काम करवाते हैं और कम मजदूरी देकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं।

7. सामाजिक रूप से पिछड़ापन होना भी बाल श्रम के मुख्य कारणों में शामिल है। अति पिछड़ा होने की वजह से सभ्य समाज में वे नहीं रह पाते जिसके कारण में उनके तौर तरीकों से अनभिज्ञ रह जाते हैं, जो उन्हें सभ्य नागरिक बनाने से कोसों दूर धकेलता हैं।

ऐसे कई अन्य कारक है जो बाल श्रम को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। जैसे औपचारिक अर्थव्यवस्था, प्रवास, भेदभाव, सांस्कृतिक विश्वास, बीमारी, अपंगता इत्यादि।

- बाल श्रम के दुष्परिणामः

बाल श्रम के दुष्परिणाम का प्रभाव न सिर्फ बच्चों पर बल्कि समाज तथा पूरे राष्ट्र पर भी पड़ता है। वहीं बाल श्रम के दुष्परिणामों के अंतर्गत उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और उनका शारीरिक, संज्ञानात्मक तथा भावनात्मक विकास अवरुद्ध हो जाता है।

सामाजिक परिणाम के अंतर्गत बाल श्रम मानवाधिकार को कमजोर बनाता है। यहीं कारण है कि समाज में सामाजिक विखंडन हो जाता है, जिसका दुष्परिणाम निर्धनता और असमानता को दर्शाता है।

राष्ट्र दुष्परिणाम की बात करें तो जब कोई बच्चा शिक्षा से वंचित हो जाता है, तो वह कार्य में अनुकूलता उत्पन्न होती है। उत्पादकता में कमी आ जाती है तथा आर्थिक उन्नति के मार्ग पर बाधा पहुँचाती है, जिससे विश्व स्तर पर मुकाबला करने तथा लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होने से देश की क्षमता तथा समृद्धि पर सवाल उठता है।

- अध्ययन का उद्देश्य

1. बाल श्रम के विभिन्न जिम्मेदार कारकों का उल्लेख करना।
2. ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में प्रवासी बाल श्रम की वास्तविक स्थिति से अवगत होना।
3. बिहार राज्य के बाल श्रमिकों के आँकड़ों को प्रस्तुत करना।
4. बाल श्रम के रोकथाम के लिए सरकार द्वारा किए गए कार्यों का विश्लेषण करना।

- अनुसंधान क्रियाविधिः

इस शोध पत्र का प्रस्तुतीकरण विश्लेषणात्मक अध्ययन पर आधारित है। इस अध्ययन को पूर्ण करने के लिए प्राथमिक तथा द्वितीयक आँकडों का सहारा लिया गया है। शोध के पहले उद्देश्य को पूरा करने हेतु द्वितीय स्रोतों की मदद ली गई है, जिसमें विभिन्न पत्र पत्रिकाएँ, किताबें, समाचार–पत्र तथा इंटरनेट शामिल है। दूसरे उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत अवलोकन विधि का प्रयोग किया गया है। वहीं तृतीय उद्देश्य की पूर्ति हेतु बिहार राज्य के 5 दशकों (1971 से 2011 तक जो की जनगणना पर आधारित है) के आँकड़े को प्रस्तुत

कर उसका विश्लेषण किया गया है, जबकि चौथे उद्देश्य की पूर्ति के लिए पुनः द्वितीयक स्रोतों से ही मदद ली गई है।

➤ अध्ययन क्षेत्रः

बिहार, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित 28 राज्यों में से एक राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से यह राज्य भारत का तीसरा बड़ा राज्य जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का 12वां स्थान है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में नौ प्रमंडल तथा 38 जिले हैं। वही सभी जिलों को मिलाकर 101 अनुमंडल, 534 प्रखंड तथा 8,471 पंचायत तथा 45,103 गाँव है। नगरपालिका आम निर्वाचन 2017 के पश्चात् इस राज्य में 19 नगर निगम, 49 नगर परिषद तथा 80 नगर पंचायत है। 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी 10,384,4,637 है, जिसमें पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या 5,41,85,347 तथा 4,96,19,290 है, वहीं बिहार समृद्ध होने के बावजूद भी यहाँ के अधिकांश क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 9,20,75,028 व्यक्ति गाँव में रहते हैं और केवल 1,17,29,609 व्यक्ति ही शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं। यहाँ की साक्षरता दर भी अन्य राज्यों से काफी कम है। 2011 की जनगणना के आँकड़ों से स्पष्ट हुआ है कि यहाँ की कुल साक्षरता दर 61.80 प्रतिशत है, जिसमें पुरुषों तथा महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः 71.20 प्रतिशत तथा 51.50 प्रतिशत है, जो कि बिहार न्यूनतम साक्षरता दर के मामले में पहला स्थान रखता है।

वहीं https://navbharattimes.indiatimes.com के अनुसार वर्तमान में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 953 हो गई है, जो की 2011 में लिंगानुपात 918 था। राज्य की जनसंख्या की बात करें तो राज्य में लगभग 10 करोड़ 40 लाख आबादी निवास करती है, जिसमें लगभग (46%) 4 करोड़ 70 लाख बच्चे हैं, जबकि यूनिसेफ के आँकड़ों के अनुसार 2021 में बच्चों की संख्या बढ़कर 5 करोड़ 18 लाख हो गई है, जिसमें 2.45 करोड़ बालिकाएँ तथा 2.73 करोड़ बालक शामिल हैं। कुल बाल आबादी का 4.66 करोड़ (89.9%) ग्रामीण परिवेश में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जबकि केवल 53 लाख बच्चे ही शहरी जीवन बिता रहे हैं। वहीं 0–6 वर्ष की आयु वाले बच्चों की संख्या 1,85,28,229 है, जिसमें 9,615,280 बालिकाएँ हैं तथा 89,66,949 बालक है। बिहार के बच्चों का लिंगानुपात 1000 लड़कों पर 933 लड़कियाँ हैं, जहाँ बिहार में लगभग 50 प्रतिशत बच्चे देश तथा राज्य का भविष्य हैं, वहीं 4.51 लाख बच्चे में से वहाँ 4.1 लाख बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के स्थान पर बाल मजदूरी कर रहे हैं। देश में बाल मजदूरी के मामले में बिहार तीसरे स्थान पर है (बाल अधिकार केंद्र 2013 श्रम और रोजगार मंत्रालय 2011)।

➤ बिहार राज्य में बाल श्रमिकों की स्थितिः

बाल श्रम मूलतः निर्धनता और अशिक्षा तथा आर्थिक–प्रवंचना का परिणाम है। अन्य शब्दों में यह कथन गलत नहीं होगा कि बाल श्रम खंडित श्रम बाजारों तथा कमजोर श्रम सशक्तिकरण का फल है। जहाँ कभी बिहार को शिक्षा का गढ़ कहा जाता था आज इस बिहार में शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि इसका असर

बाल मजदूरी के रूप में साफ तौर पर देखा जा सकता है। बिहार में लाखों बच्चे घरों, होटलों, ढ़ाबों, भोजनालयों, रेल के डिब्बों, कारखानों, दुकानों में नियमित रूप से कार्य करते देखने को मिल जाते हैं। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा 2005 में एक सर्वेक्षण के जरिए 23.15 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। यह आँकड़ा बताता है कि इन बच्चों का विद्यालय नहीं जाने का कारण केवल बाल मजदूरी ही था। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया, पटना में 27 सितंबर 2006 को एक रिपोर्ट प्रकाशित हुआ जिसमें यह बताया गया कि बेगूसराय, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, खगड़िया, कटिहार, मधेपुरा, मधुबनी तथा सिवान जिलों में सबसे अधिक बाल श्रमिकों से कार्य कराया जाता है। इन आँकड़ों से यह माना गया कि अन्य राज्यों में बाल श्रम की आपूर्ति में बिहार अव्वल है। एक अनुमान के अनुसार, बिहार राज्य के लगभग 5 लाख प्रवासी बच्चे दूसरे राज्यों में कार्य करते हैं।

इसके अलावा भी बिहार में जाति–आधारित भेदभाव किया जाता है, जिससे बाल श्रम को और अधिक बढ़ावा मिलता है। अध्ययन में यह भी पता चला है कि अनुसूचित जाति के बच्चों से अवैध तथा कई खतरनाक कार्य करवाएँ जाते हैं। वहीं डोम जाति के बच्चे जो पीढ़ी दर पीढ़ी शवों का अंतिम संस्कार करते आ रहे हैं, उन्हें कृषि के कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाती हैं। वहीं डोम, गरीब मुस्लिम तथा अन्य जनजाति समुदाय के बच्चों को केवल कूड़ा बीनने का कार्य करने को मजबूर किया जाता है, जबकि मुसहर जाति के बच्चों से कभी–भी घरों में कार्य करने के लिए भी नियोजित नहीं किया जाता है अगर कोई महादलित बच्चा ढाबा या होटल में काम करता है, तो मजबूरन उन्हें अपनी जाति छुपानी पड़ती है। वहीं यहाँ के बच्चे अन्य राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान में ईट भट्टों पर काम करने के लिए पलायन हो रहे हैं, क्योंकि बिहार में इन उद्योगों में काम करने की स्थिति बहुत ही दयनीय है। इन बच्चों से 9 से 13 घंटों तक लगातार काम लिया जाता है। बिहार में मजदूरी के मामले में भी इन बच्चों को बहुत ही कम वेतन दिया जाता है। व्यवसाय के साथ बाल समूह को स्कूल में भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। बिहार में लगभग 55.7 प्रतिशत बच्चे शिक्षा से वंचित हैं (स्वास्थ्य एवं बाल कल्याण 2017)। इन बच्चों के माता–पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, जो कि वे गैर–सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करा सकें। हालांकि सरकारी विद्यालय में भी छात्रों तथा शिक्षकों के बीच भेदभाव बना ही रहता है। ऐसे बच्चे स्कूल जाना छोड़कर इधर–उधर के कार्य करने में संलग्न हो जाते हैं। बिहार की शादियों में भी बाल श्रम का इस्तेमाल व्यापक रूप से चला आ रहा है। ऐसी शादियों में बच्चों से 11 घंटे की शिफ्ट में काम करवाया जाता है। विशेषकर पटना तथा भागलपुर जिले में शादियों पर धड़ल्ले से बाल श्रम का इस्तेमाल हो रहा है। वहीं बाल तस्करी के मामले में 2017 के दौरान बिहार 395 मामलों के साथ देश में तीसरे स्थान पर था। बिहार बाल तस्करी का मुख्य स्रोत बनता जा रहा है। एक अध्ययन के अनुसार दिल्ली में पाएँ गए। बच्चों में लगभग 54 प्रतिशत बच्चे बिहार से थे (कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन प्रेस प्रकाशनी 11 अगस्त 2020)।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आँकड़ों के अनुसार 2021 के अंत तक पूरे भारत से बिहार के 294 नाबालिक बच्चों को बचाया गया था। बिहार को बाल श्रम मुक्त बनाने के लिए नियोजन तथा प्रक्रिया में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। वहीं गैर खतरनाक उद्योगों में नियोजित बच्चों के अभिभावक बच्चों को कार्य स्थल से वापस ले तथा विद्यालय भेजें, किंतु जब तक यह समस्याएँ हल नहीं होती तब तक बाल श्रम (निषेध एवं

विनियमन) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत बिहार राज्य इस तरह से प्रावधान के निर्देशों का पालन करें कि बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हो सकें और ऐसा उपाय करें ताकि शोषण ना हो पाएँ।

तालिका संख्या 1

बिहार राज्यः 1971 से 2011 की दशकीय अवधि में लिंगानुसार बाल श्रम का वितरण

दशक	आयु वर्ग	बच्चों की संख्या			बाल श्रमिकों की संख्या
		कुल	बालिका	बालक	
1971	5–14	–	–	–	10,59,359
1981	5–14	–	–	–	1101764
1991	5–14	1,75,06,497	81,19,548	93,86,949	9,42,245
2001	5–14	2,38,68,079	11192,615	1,26,75,464	11,17,500
2011	5–14	2,89,56,159	13835969	1,51,20,190	4,51,590

स्रोतः 1971–2011 तक के जनगणना अनुसार

तालिका संख्या–1 के अनुसार, राज्य में पिछले 5 दशकों के 5 से 14 वर्षों के बच्चों की संख्या तथा बाल श्रमिकों की संख्या को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। चूँकि सन् 1971 एवं 1981 की 5–14 वर्ष आयु के बच्चों की संख्या अप्राप्त थी, जिस कारण शोधकर्ता द्वारा उसे वर्ष के केवल बाल श्रम के आँकड़ों को प्रस्तुत किया गया है। अगर 1971 के बिहार की जनसंख्या को देखा जाएँ तो पूरे बिहार की जनसंख्या झारखंड सहित 56,300,000 थी, जिसमें बाल श्रमिकों की संख्या 10,59,359 थी, जो की कुल जनसंख्या का 1.9 प्रतिशत थी, वहीं 1981 की कुल जनसंख्या 6,99,14,734 थी, जिसमें बाल श्रमिकों की संख्या 11,01,764 थी जो कुल जनसंख्या का लगभग 1. 58 प्रतिशत था। 1991 ई का कुल जनसंख्या 8,63,74,465 थी जिसमें 5 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या 1,75,06,497 तथा बालक एवं बालिकाओं की संख्या 8,11,954 व 93,86,949 थी। उस ई० के जनगणना के अनुसार बाल श्रमिकों की संख्या 4,42,245 थी, जो कि कुल बच्चों की संख्या का 5.39 प्रतिशत थी। वहीं 2011 की जनगणना की बात करें, तो सन् 2000 ई० में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना इसका प्रभाव साफ तौर पर बिहार के कुल जनसंख्या में दिखाई पड़ता है। 2001 में बिहार की जनसंख्या 8,28,78,796 हो गई थी, जो की 1991 की कुल जनसंख्या से लगभग 4 प्रतिशत कम थी, जबकि बच्चों की संख्या 2,38,68,079 थी, जिसमें लड़कों की संख्या 1,26,75,464 तथा लड़कियों की संख्या 1,11,92,615 थी। वहीं उस दशक में बाल श्रमिकों की संख्या 11,17,500 थी, जो उसे समय के कुल बच्चों का लगभग 4.69 प्रतिशत था। 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 10.38 करोड़ हो गई तथा बच्चों की संख्या 2,89,56,159 थी जिसमें 1,51,20,190 लड़के तथा 1,38,35,969 लड़कियाँ संख्या थी। इन बच्चों की संख्या में बाल श्रमिकों की संख्या 4,51,590 थी जो कि कुल बच्चों की जनसंख्या का लगभग 1.56 प्रतिशत था, जो काफी संतोषजनक आँकड़े प्रस्तुत कर रहा था।

इन आँकड़ों से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि बाल श्रम की समस्या दशकों से चलती आ रही है, जहाँ 2000 में विभाजन के पश्चात् जनसंख्या में कमी आई थी इसके बावजूद इस दशक में सबसे अधिक बाल श्रम की संख्या दर्ज की गई। वहीं 2011 के आँकड़े भी यही बताते हैं कि राज्य सरकार बाल श्रम पर रोकथाम के लिए कार्य कर रही है।

- बिहार राज्य सरकार द्वारा बाल श्रम के उन्मूलन एवं पुनर्वास हेतु कार्यः

राज्य सरकार बाल श्रम के उन्मूलन एवं पुनर्वास के लिए काफी सक्रिय नजर आ रही है। बिहार बाल श्रमिक आयोग अधिनियम, 1996 की धारा– 7 के अंतर्गत आयोग को परिभाषित किया गया है। आयोग अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बाल श्रम की घिनौनी व्यवस्था के विपरीत समाज में अनुकूल वातावरण बनाकर लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आयोग बाल मजदूरी के मुद्दों पर जन–सुनवाई का आयोजन करेगा तथा उसे रोकने हेतु अधिनियमों के क्रियान्वयन एवं बच्चों के कल्याण संबंधी कार्यक्रमों की समीक्षा कर अनुश्रवण का भी दायित्व निभाएगा। इसके बावजूद भी बाल मजदूरी से संबंधित विषयों पर सरकार को सलाह देगा। वहीं यूनिसेफ, बिहार में बाल श्रमों हेतु सभी कार्यों में हमेशा आगे रहा है। यूनिसेफ बाल श्रम के मामले में सरकारी तथा गैर–सरकारी प्रयासों में भी सक्रिय रूप से सहयोग प्रदान करता है।

वर्तमान में राज्य सरकार ने बाल मजदूरों का अध्ययन पंचायत स्तर पर काम करने का निर्णय लिया है, जिसके काम में मुखिया के साथ–साथ अन्य कर्मचारी सहयोग प्रदान करेंगे। पंचायत ऑफिस में चाइल्ड माइग्रेशन रजिस्टर को रखा जाएगा, जिससे पलायन हो रहे बच्चों की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकें। प्रत्येक पंचायत से बाल मजदूरों के आँकड़े को एकत्र कर, वहां से बच्चों को मुक्त करने के लिए ठोस कदम उठाया जाएगा। इसके अलावा भी जागरूकता अभियान द्वारा नुक्कड़ नाटकों का भी आयोजन पंचायत स्तर पर किया जाएगा। जिसके लिए स्कूली छात्र तथा शिक्षकों से भी मदद ली जाएगी तथा नाटकों के जरिए बाल श्रम के दुष्प्रभाव को दिखाया जाएगा, ताकि बच्चे तथा उनके माता–पिता बाल श्रम की जमीनी सच्चाई से रूबरू हो सकें। यहाँ तक की बिहार सरकार द्वारा सोशल मीडिया के जरिए "नो चाइल्ड लेबर हैश टैग" अभियान का भी शुरुआत कर रही है, जिससे लोगों पर इस "हैशटैगिंग" का असर हो सकें तथा वह अपने घरों, दुकानों, कारखानों तथा होटल जैसे प्रतिष्ठानों पर बच्चों को नियोजित नहीं कर सकें।

वहीं वर्तमान समय में श्रम संसाधन विभाग द्वारा कई जगहों पर छापेमारी कर बाल श्रम को मुक्त कराया गया हैं। मुक्त कराए गए बाल मजदूरों को सरकार द्वारा पुनर्वास के लिए सहायता भी प्रदान कराई जाएगी। यदि इस प्रकार सरकार द्वारा बाल श्रम के उन्मूलन एवं पुनर्वास के लिए अभियान चलाती है और यह अभियान सफल होकर अपने मुकाम तक पहुंचती है, तो यह बात साफ है कि बिहार सरकार जल्द ही बाल श्रम की समस्या को जड़ से उखाड़ कर फेंक देगी।

- निष्कर्षः

बच्चों को दुनिया में मानवता हेतु सबसे बड़ा उपहार माना गया है। बचपन मानव विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, क्योंकि एक बच्चा किसी भी समाज के भविष्य निर्माण की क्षमता रखता है। किसी भी बच्चे का शारीरिक, सामाजिक, मानसिक एवं बौद्धिक क्षमता का विकास किस स्तर पर हुआ है, वह उसके पालन–पोषण पर निर्भर करता है। वहीं बच्चों को जहाँ बचपन में किसी भी बात की चिंता नहीं रहती है वहीं कुछ बच्चों के हिस्से में सुख–सुविधाएँ नसीब नहीं होती हैं। जिन बच्चों को बाल श्रम के कार्य में धकेल दिया जाता है, उनका पूरा जीवन मजदूरी के लिए काम करते हुए बीत जाता है। बाल श्रम एक ऐसी गंभीर बीमारी बन गई है, जिसको अगर जल्द से जल्द खत्म नहीं किया गया तो यह पूरे देश को दीमक की तरह खोखला कर देगा। बच्चे कल के भविष्य हैं और अगर भविष्य ही अंधेरे में रहेगा तो एक समृद्ध तथा सुदृढ़ देश की कल्पना कैसे हो सकती है। इसलिए बाल श्रम को खत्म करना होगा और यह केवल हमलोगों के साथ तथा सरकार के सहयोग से ही संभव हो पाएगा।

संदर्भ सूचीः

1. पी० आर० एन० सिन्हा एवं इंदु बाला – श्रम एवं समाज कल्याण पृ०–203, 204, 205, 206, 207.
2. "A Critical Analysis of Child Labour in India"- Mrs. Niti Nagar and Mrs. Bindu Roy, International Journal of Current Research in Multidisciplinary (IJCRM)ISSN-2456-0979, Vol.1, Issue-5. www.ijcrm.com
3. https://hi.vikaspedia.in>child-rights
4. https://testbook.com>among-the-State
5. www.nextias.com
6. https://wp.nyu.edu>virtulhindi
7. https://en.wikipedia.org>wiki>c
8. https://endchildlabour2021.orgc
9. www.livehindustan.com
10. https://www.census2011.com.in>state
11. www.livehindustan.com
12. https://www.bhaskar.com>news
13. https://www.epw.in>engage>articale
14. www.researchgate.net
15. www.nextias.com

16. https://infinitylearn.com>artical

17. https://theprint.in>india>on-world

18. Census of India, 1971, 1981, 1991, 2001 and 2011.

19. https://ecpat.org>india-eco-hindi

20. www.vidhansabha.bih.nic.in

21. www.labour.gov.in

22. www.censusindia.gov.in

23. https://navbharattimes.indiatimes.com